

आम सूचना

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र/छात्राओं तथा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2021 में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से संबंधित सूचनाओं को छपके पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित किये जाने

उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित कोटि के छात्र/छात्राओं को उनके सम्मुख अंकित योजनाओं का लाभ दिया जाना है:-

क्र.	योजना का नाम	लाभुक छात्र/छात्रा की कोटि	अंहता	प्रोत्साहन राशि
1	मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	सामान्य एवं पिछड़ा (बी०सी०-२) वर्ग की बालिका	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
2	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	उच्च जाति (अत्यसंख्यक सहित) बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारियारिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	₹10,000/- (दस हजार)
3	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	अत्यसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) /भाराई अत्यसंख्यक (बंगला) के छात्र/छात्राओं के लिए	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
4	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारियारिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	₹10,000/- (दस हजार)
5	मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के बालिका/बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
6	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के बालिका/बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
			द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹8,000/- (आठ हजार)
7	मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि की बालिका	प्रथम श्रेणी से इन्टर उत्तीर्णता	₹15,000/- (पन्द्रह हजार)
			द्वितीय श्रेणी से इन्टर उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)

- उक्त योजनाओं के अंतर्गत राशि सीधे पात्र लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।
- पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन की राशि उनके बैंक खाते में NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित किया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2021 में माध्यमिक/इन्टर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का जिलावार एवं विद्यालयवार परिवरण सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है।
- सभी पात्र छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि NIC द्वारा विकसित पोर्टल <http://edudbt.bih.nic.in> पर निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएं यथा पंजीयन सं०, प्रासांक, जन्म तिथि, बैंक खाता सं०, बैंक शाखा का नाम, IFSC Code, आधार संख्या, मोबाईल सं०, ₹००-मेल आई०डी० तथा सामान्य वर्ग के उच्च जातियों के छात्र (अत्यसंख्यक सहित) एवं पिछड़ी जाति के छात्र जिनकी वार्षिक पारियारिक आय 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो संबंधित सूचना तथा आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। कोई भी तथ्य सूचना गलत अंकित किये जाने की स्थिति में निबंधन रद्द हो जायेगा, परन्तु उन्हें पुनः निबंधन कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। पोर्टल पर अंकित तथ्य, यथा पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य सूचना के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही छात्र/छात्राओं के बैंक खाता एवं आधार में छात्र/छात्राओं का नाम उसके पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुरूप होना अनिवार्य है। निबंधन के समय दर्ज कराये गये सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात् छात्र/छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर तथा ₹००-मेल आई०डी० पर यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा। यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।

शूजर आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद पात्र लाभुकों को पुनः पोर्टल पर लॉग इन करके अपने फार्म को पूरा करते हुए अंतिम रूप देना है। छात्र/छात्रा द्वारा फार्म को अंतिम रूप देने के पश्चात् किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र लाभुकों को अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेसेंट बैंक के बिहार में अंकित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए।

प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से किया जाय।

उक्त के संदर्भ में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं०- +919534547098 (श्री राज कुमार), +918986294256 (श्री इंद्रजीत) तथा +918709739659 (श्री विन्द्र कुमार ज्ञा) एवं ईमेल आई०डी०-mkuyhelp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।